न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 553 सन 2018

अनवान :–

1. चरणजीत कौर पुत्री गंधारासिह जाति जटसिख निवासी मलडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलविन्द्रकोर पुत्री गंधारसिह जाति जटसखि निवासी मलडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीयागण

बनाम

1. अंग्रेज कौर पत्नि गंधारसिह जाति जटसिख निवासी मलडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जसवीर पुत्र गंधारासिह जाति जटसिख निवासी मलडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. अजीतसिह पुत्र गंधारसिह जाति जटसिख निवासी मलडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 2/101 की कुल किता 22 की 4.9850हैक में से 2.455हैक भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 अंग्रेजकोर के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज है थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीयान की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादी के भाई है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीयान के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीयान का वाद डिक्री किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीयान की माता है व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादीयान के भाई है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि का त्याग अपनी बहनों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादीयान का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीयान की माता है व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादीयान के भाई है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपनी बहनों के पक्ष में किया जा चुका है वादीयान के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होन अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

- अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 2/101 की कुल किता 22 की 4.9850हैक में से 2.455हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के स्थान पर वादीयान बहिब की खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

- निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official